वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 06.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला,दैनिक मान्यवर,हिंदुस्तान,जनसंदेश टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 06.10.2024

बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए ही करें

वीडीए के अपर सचिव ने व्यापारियों के साथ की बैठक, 110 भवन मालिकों को नोटिस दिया गया

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ शनिवार को वीडीए सभागार में बैठक की। इसमें अपर सचिव ने कहा कि बेसमेंट में किसी भी तरह की दुकानें संचालित न करें। बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए ही करें।

अपर सचिव ने कहा कि 261 भवनों के सर्वे के दौरान 151 भवनों के बेसमेंट को खाली कराया गया। 110 भवन मालिकों को नोटिस दिया गया। इस दौरान व्यापारियों ने बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए करने पर सहमति जताई। व्यापारियों ने कहा कि कई अस्पताल और कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं। इन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही पांडेयपुर में पार्किंग बनाने की मांग की। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, राष्ट्रीय व्यापार मंडल उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी, प्रिया अग्रवाल समेत कई संगठनों के व्यापारी मौजूद रहे। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 06.10.2024

वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में चार भवन सील किए

वाराणसी। वीडीए के अवर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने शनिवार को वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र के कोनिया घाट वार्ड आदमपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 अवैध निर्माण मिले। इसे जोनल अधिकारी को सील करने के निर्देश दिए। चारों अवैध निर्माण को सील किया गया। अवर सचिव ने निर्देश दिया कि वरुणा नदी के दोनों ओर निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण करें। इसके साथ निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। संवाद

78 फ्लैट के व्यावसायिक मानचित्र की स्वीकृति : वीडीए ने शनिवार को सदर तहसील के डाफी की भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र स्वीकृत किया। इसमें बेसमेंट एवं 10 तल हैं। इससे 9228510 रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना में कुल 108 कार पार्किंग एवं दो पहिया वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित है। उधर, वीडीए ने शनिवार को जोन-3 वार्ड दशाश्वमेध में अवैध निर्माण व बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी पर कार्रवाई की। संवाद

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक मान्यवर –दि0 06.10.2024

अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, कई भवनों को किया सील, मची खलब

वाराणसी। अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। वीडीए की टीम ने निरीक्षण कर कई अवैध निर्माणों को सील कर दिया। सील भवनों को पुलिस की निगरानी में सुपुर्द किया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार, जोन-4 में गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एंड गर्ल्स इंटर कॉलेज, रविंद्रपुरी के पीछे क्षतिग्रस्त बाउंड्री की शिकायत के बाद स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुर्गाकुंड क्षेत्र में भवन संख्या 27/64 सी और डी के पास लगभग 5000 वर्ग फीट में बेसमेंट की खुदाई कर अजय सिंह द्वारा अनधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा था। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, निर्माणकर्ता को धारा-27, 28 और 28(2) के तहत नोटिस जारी किया गया और निर्माण कार्य बंद कराया गया। इसके साथ ही, क्षतिग्रस्त बाउंड्री से किसी भी संभावित दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए उस स्थल को सील कर थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में जोन-1 और जोन-2 में वरुणा नदी के 50 मीटर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान कुल 9 अवैध निर्माण पाए गए, जिन्हें तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए। जोन-1 में 4 और जोन-2 में 5 अवैध निर्माण सील किया गया। सील किए गए निर्माणों में जोन-1 के वार्ड शिवपुर के अंतर्गत दुलारे मिस्त्री और मनीष राय के अवैध निर्माण शामिल थे। इसके साथ ही, जोन-2 में सारनाथ के अंतर्गत विभिन्न निर्माणों, जैसे जैनुद्दीन और अनवर अहमद के अवैध भवनों को भी सील किया गया। इसके अतिरिक्त वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर ग्रीन क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जोनल अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण ने इस क्षेत्र के निवासियों और भू-स्वा से अपील की है कि वे इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें, अन्यथा कानूनी रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्तान –दि0 06.10.2024

बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था हो

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। विकास प्राधिकरण सभागार में शनिवार को वीडीए और वाराणसी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें बेसमेंट में व्यावसायिक प्रयोग बंद करके पार्किंग व्यवस्था सुनिचित करने पर वार्ता हुई। अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा ने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कुल 261 भवनों का सर्वे कराया था। इसमें 151 भवनों के बेसमेंट खाली कराये गए। 110 भवनों में बेसमेंट खाली करने के लिए नोटिस दी गई।

व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने बेसमेंट में चल रहे व्यावसायिक प्रयोग बंद कर पार्किंग व्यवस्था कराने में सहयोग प्रदान करने की सहमति दी। पांडेपुर व्यापार मंडल की ओर से जानकारी भी दी गई कि वाहनों को पार्किंग स्थल न मिलने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या निरंतर बनी रहती है। महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने जानकारी साझा कि कॉलोनी के अंदर हॉस्पिटल एवं कोचिंग संस्थानों का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई आवश्यक है।

बैठक में बीडीए के संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, राष्ट्रीय व्यापार मण्डल उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्घा, कबीर रोड व्यापार मण्डल, हुकुलगंज व्यापार मण्डल, पाण्डेपुर व्यापार मण्डल मण्डल, नटिनियादाई व्यापार मण्डल, उड़ाकादल व्यापार मण्डल, वाराणसी महिला व्यापार मण्डल के अध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित थी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स–दि0 6.10.2024

बेसमेंट का व्यवसायिक प्रयोग होगा पूर्णरूप से बंद

त्यापारियों ने दी सहमति

वीडीए संग हुई बैठक में जुटे दो दर्जन से अधिक व्यापार मंडल के पदाधिकारी

• जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। शहर में बेसमेंट का जल्द व्यवसायिक प्रयोग पूर्णरूप से बंद होगा। इसके लिए जहां व्यापारियों ने अपनी सहमति दे दी है ,वहीं वीडीए ने भी अभियान चलाकर सख्त कारवाई करने की योजना बना लिया है। इसको लेकर वीडीए के अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को प्राधिकरण सभागार में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के संग हुई बैठक में शहर के बेसमेंट में चल रहे व्यावसायिक प्रयोग को बंद कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए व्यापारियों ने सहमति प्रदान की। बैठक में दो दर्जन से अधिक व्यापार मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए।

इस दौरान वीडीए के अपर सचिव ने बताया कि शहर में कुल 261 भवनों का जहां सर्वे हुआ है,वहीं 151 भवनों में बेसमेंट भी खाली कराया गया जबकि110 भवनों में बेसमेंट खाली कराने के लिए नोटिस जारी की गयी हैं। व्यापार मण्डल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने प्राधिकरण के कार्यो की सराहना की और बेसमैट में चल रहे व्यावसायिक प्रयोग को बंद कर वहां पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु सहमती दी।

बैठक में पांडेपुर व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि पांडेपुर में वाहनों को पार्किंग स्थल नहीं मिलने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या निरन्तर बनी रहती है। जिसका निदान होना चाहिए। महिला व्यापार मण्डल अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल द्वारा जानकारी साझा की गयी कि कालोनी के अन्दर हॉस्पिटल एवं कोचिंग संस्थानों का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा हैं। जिस पर तत्काल सख्त कारवाई किया जाना आवश्यक है।

बैठक के अंत में वीडीए के अपर सचिव ने व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ विचार- विमर्श करते हुए कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की सूची बनाकर भवन स्वामियों को स्वयं समझाएं कि वे बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि को तत्काल प्रभाव से बंद कर पार्किंग के उपयोग में लायें । यदि फिर भी बेसमेंट में कार्य संचालित रहा तो प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन की कारवाई की जायेगी। इस अवसर पर वीडीए के संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, राष्ट्रीय व्यापार मण्डल के उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, वाराणसी व्यापार मण्डल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, कबीर रोड व्यापार मण्डल, हुकुलगंज व्यापार मण्डल, पाण्डेपुर व्यापार मण्डल, नटिनियादाई व्यापार मण्डल, उड़ाकादल व्यापार मण्डल, वाराणसी महिला व्यापार मण्डल, पुर्वाचल महिला व्यापार मण्डल, बासफाटक व्यापार- मण्डल, गोदौलिया व्यापार मण्डल, लंका व्यापार मण्डल, विशेश्वरगंज व्यापार मण्डल, सिगरा व्यापार मण्डल, कैण्ट व्यापार मण्डल, मैदागिन व्यापार मण्डल के सभी अध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 06.10.2024

पार्किंग व्यवस्था के लिए बेसमेंट का उपयोग जरूरी

वीडीए उपाध्यक्ष ने वाराणसी व्यापर मण्डल के साथ बैठक कर दिए निर्देश

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार शनिवार को अपर सचिव डॉ गुड़ाकेश शर्मा की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर बेसमेंट में चल रहे व्यावसायिक प्रयोग को बंद करने एवं वहां पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में वार्ता की गयी।

वीडीए के अपर सचिव ने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से कुल 261 भवनों का सर्वे कराते हुए 151 भवनों में बेसमेंट खाली कराया गया एवं 110 भवनों में बेसमेंट खाली करने के लिए नोटिस जारी की गयी। व्यापार मण्डल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने प्राधिकरण के कार्य की सराहना की तथा बेसमेंट में चल रहे व्यावसायिक प्रयोग को बंद कर वहां पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए सहमती दी गयी। पांडेयपुर व्यापार मण्डल की तरफ से जानकारी दी गयी कि पांडेयपुर में वाहनों को पार्किंग स्थल न मिलने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या निरंतर बनी रहती है। इसी प्रकार महिला व्यापार मण्डल अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल की तरफ से जानकारी साझा की गयी कि कॉलोनी के अंदर हॉस्पिटल एवं कोचिंग संस्थानों का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा है जिनपर कार्यवाही आवश्यक है। उक्त के क्रम में अन्य सदस्यों द्वारा अपने विचार एवं सुझाव दिए गये। बैठक के अंत में अपर सचिव द्वारा व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हुए कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की सूची बनाकर भवन स्वामियों को स्वयं समझाएं कि वे बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि को तत्काल प्रभाव से बंद कर पार्किंग के उपयोग में लायें, यदि फिर भी बेसमेंट में कार्य संचालित रहा तो प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान वीडीए के संयुक्त सचिव परमानंद यादव, राष्ट्रीय व्यापार मण्डल उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, वाराणसी व्यापार मण्डल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, कबीर रोड व्यापार मण्डल, हुकुलगंज व्यापार मण्डल, पाण्डेपुर व्यापार मण्डल, नटनियादाई व्यापार मण्डल, उड़ाकादल व्यापार मण्डल, वाराणसी महिला व्यापार मण्डल, पूर्वांचल महिला व्यापार मण्डल, बांसफाटक व्यापार मण्डल, गोदौलिया व्यापार मण्डल, लंका व्यापार मण्डल, विशेश्वरगंज व्यापार मण्डल, सिगरा व्यापार मण्डल, कैण्ट व्यापार मण्डल, मैदागिन व्यापार मण्डल आदि व्यापार मण्डल के अध्यक्ष, महामंत्री आदि उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 06.10.2024

वीडीए ने बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी को सील किया

वाराणसी। दशाश्वमेध वार्ड के अंतर्गत अवैध निर्माण व बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शनिवार को सील की कार्यवाही की। दशाश्वमेध वार्ड के भुल्लनपुर के अंतर्गत शिवकुमार के द्वारा 34 वीं वाहिनी पीएसी साउथ गेट के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण पूर्ण कराते हुए उक्त भवन के बेसमेण्ट में व्यावसायिक लाइब्रेरी संचालन किया जा रहा था जिसे सील किया गया। उक्त के क्रम में वार्ड-दशाश्वमेध, भुल्लनपुर के अंतर्गत अनिल यादव द्वारा बेसमेंट में गूगल लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा था जिसे सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 06.10.2024

वीडीए ने अवैध निर्माणों को किया सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में वरुणा के 50 मीटर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र एवं इसके पास कोनिया घाट वार्ड आदमपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन भवनों के संबंध में प्रवर्तन की कार्यवाही अपर सचिव, डॉ. गुडाकेश शर्मा द्वारा प्रभारी अधिकारी भवन, संयुक्त सचिव परमानन्द यादव एवं जोनल अधिकारी जोन-2 संजीव कुमार तथा जोन के प्रवर्तन टीम के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में कुल 04 अवैध निर्माण गतिमान पाये गये, जिसे जोनल अधिकारी को मौके पर ही सील करने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में जोन-2 के अन्तर्गत आदमपुर वार्ड क्षेत्र में उक्त चारों अवैध निर्माणों को मौके पर ही सील कराया गया। सील बंद कराये गये निर्माणों में जोन-2 के वार्ड-आदमपुर के अन्तर्गत कोनिया घाट में महेन्द्र यादव द्वारा एक मंजिला भवन के हो रहे अवैध निर्माण सील किया गया। वहीं दूसरी तरफ जोन-2 के वार्ड-आदमपुर के अन्तर्गत कोनिया घाट में चंद्रेश कुमार द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया। इसी प्रकार जोन-2 के वार्ड-आदमपुर के अन्तर्गत कोनिया घाट में किये जा रहे अवैध निर्माण सील किया गया। इसके अतिरिक्त जोन-2 के वार्ड-आदमपुर के अन्तर्गत कोनिया घाट में श्रवण सेठ द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया। निरीक्षण के दौरान वरूणा नदी के किनारे 50 मीटर की दूरी में प्राविधानित ग्रीन बेल्ट भूउपयोग तथा इसके समीपस्थ क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित जोनों के जोनल अधिकारी को कड़े निर्देश दिये।